# POLICE COMMISSIONERATE

# GAUTAM BUDH NAGAR

## सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 28.04.2026

**1.थाना जेवर पुलिस द्वारा हत्या की घटना का अनावरण करते हुये 01 अभियुक्त गिरफ्तार।**

**घटना का संक्षिप्त विवरण--** दिनांक 21/04/2026 को वादी सुरेन्द्र पुत्र गौरी प्रसाद नि0 ग्राम रोही आर आर कालोनी थाना जेवर गौ0बु0नगर ने थाना जेवर पर प्रार्थना पत्र दिया कि वादी की पुत्री अंजली उम्र करीब 14 वर्ष दिनाँक 20.04.2026 को दुकान पर दुग्ध लेने गयी थी परन्तु अभी तक वापस नही आयी है। इधर उधर काफी तलाश किया परन्तु कुछ पता नही चल सका है । वादी की तहरीर के आधार पर थाना जेवर पर मु0अ0सं0 127/2026 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। दौराने विवेचना गहन जाँच की गयी तो यह तथ्य प्रकाश में आये है कि मृतिका अपने सौतेले पिता सुरेन्द्र (मुकमदा वादी) से वाद विवाद होता रहता था। इसी से नाराज होकर सुरेन्द्र द्वारा मृतका अंजली के साथ दिनांक 20/04/2026 को मारपीट की जिससे उसकी मृत्यु हो गयी तथा डर के कारण मृतका अंजली के शव को ग्राम कानीगढी व जेवर खादर के मध्य यमुना पुस्ता रोड के शीशम की झाडियो में छिपा दिया था तथा अपने बचाव में थाना जेवर पर तहरीर देकर अपनी पुत्री अंजली के सम्बन्ध में गुमशुदगी का मुकदमा पंजीकृत कराया था।

**कार्यवाही का विवरण--** थाना जेवर पुलिस द्वारा **दिनांक 28/04/2026** को आरोपी सुरेन्द्र की निशादेही पर कानीगढी व जेवर खादर के मध्य यमुना पुस्ता रोड के शीशम की झाडियो से अंजली के शव बरामद हुआ। मृतका उपरोक्त के शव का पंचायनतामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया तथा अभियुक्त सुरेन्द्र पुत्र गौरी प्रसाद को मौके से **गिरफ्तार** किया गया तथा थाना जेवर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 127/2026 धारा 137(2) बीएनएस को धारा 103(1)/238 बीएनएस में तरमीम किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--**

1. सुरेन्द्र पुत्र गौरी प्रसाद ( वाल्मीकि) नि0 ग्राम रोही आर आर साईट थाना जेवर गौतमबुद्धनगर।

**पंजीकृत अभियोग का विवरण--**

1. मु0अ0सं0 127/2026 धारा 103(1)/238 बीएनएस थाना जेवर गौतमबुद्धनगर।

## 2.थाना सेक्टर 142 पुलिस द्वारा 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

**घटना का संक्षिप्त विवरण--** दिनांक 28.04.2026 को थाना सेक्टर 142 पुलिस पर वादी द्वारा, अभियुक्तों के विरूद्ध गाली गलौज , मारपीट करने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 22/26 धारा 115(2),351,352(2),110 बीएनएस कराया गया था।

**कार्यवाही का विवरण--** थाना सेक्टर 142 पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुये **दिनांक 28.04.2026** को अभियुक्तगण 1. वीरेन्द्र सिंह पुत्र कृष्णपाल 2. विनीत पुत्र विरेन्द्र को बुद्ध तिराहे के पास एक्सप्रेसवे के किनारे से **गिरफ्तार** किया गया है।

### गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. वीरेन्द्र सिंह पुत्र कृष्णपाल नि0 गली न0 23 ग्राम शहदरा गौतमबुद्धनगर, उम्र 42 वर्ष
2. विनीत पुत्र विरेन्द्र नि0 गली न0 23 ग्राम शहदरा गौतमबुद्धनगर, उम्र 19 वर्ष

### पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0 22/26 धारा 115(2),351,352(2),110 बीएनएस ,थाना सैक्टर 142, गौतमबुद्धनगर